REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2018/फाल्गुन 30, 1939No. 160]NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2018

सा.का.नि. 251(अ).—केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 में सातवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"सातवीं अनुसूची

(नियम 18(1) और (2) देखें)

प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम शुद्ध मालियत अपेक्षाए

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ रुपये में)
1000 से कम	0.1
1,001 - 3,000	0.25
3,001 - 5,000	0.50
5,001 - 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2

10,001 - 15,000	5
15,001 – 25,000	10
25,001 - 75,000	20
75,001 - 1,50,000	30
1,50,001 - 5,00,000	50
5,00,001 और अधिक	100

जहां आवेदक/भांडागारपाल किसान उत्पादक संगठन या सहकारी है, शुद्ध मालियत सकारात्मक होनी चाहिए।

[फा. सं. टीएफसी/4/2016]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 165(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और सा.का.नि. 1040(अ), तारीख 22 अगस्त, 2017 द्वारा संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2018

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, for the Seventh Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Seventh Schedule

[See rule 18 (1) and (2)]

Minimum net worth requirements for registration with the Authority

Storage capacity (in tons)	Net worth (Rupees in crores)
1,001 - 3000	0.25
3,001 – 5,000	0.50
5,001 - 7000	1.00
7,001 – 10,000	2
10,001 - 15000	5
15,001 - 25,000	10

25,001 - 75,000	20
75,001 - 1,50,000	30
1,50,001 - 5,00,000	50
5,00,001 and above	100

Where the applicant/warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Co-operative, the net worth should be positive.".

[F. No. TFC/4/2016]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 165(E), dated the 23rd February, 2017 and amended *vide* G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017.